<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बाडी, जिला धौलपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– नीरज कुमार R.J.S.(D.J.Cadre)</u>
<u>मुत0 फौज0 प्रकरण संख्याः– 294/2022</u>
<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 384/21 पुलिस थाना बाडी</u>
<u>अंतर्गत धारा 406, 420, 120बी भा.दं.सं.</u>

01. उदयसिंह पुत्र निहालसिंह निवासी ग्राम आंगई हाल निवासी मौ. दमदमा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर।
02. शुभम परमार उर्फ बॉबी पुत्र उदयसिंह निवासी ग्राम आंगई हाल निवासी मौ. दमदमा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर।

–प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक बाड़ी **–अप्रार्थी/अभियोगी**

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं.</u>

उपस्थिति :
1. श्री गिरीश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।
3. श्री रवि कुमार पचौरी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 18.08.2022</u>

<u>न्यायालय द्वारा</u>

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दं॰प्र॰सं॰ उनके अधिवक्ता की ओर से इस न्यायालय में पेश किया गया।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक को सुना, केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण का कथित अपराध से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, पुलिस ने राजनीतिक दवाब में झूंठे तथ्यों के आधार पर गलत फंसाया है। प्रार्थीगण व मुस्तगीस बंगाली सिंह दोनो पी.डब्लू.डी के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं, उक्त दोनों के बीच एक टेण्डर को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया, मुस्तगीस ने एक चैक प्रार्थीगण का बाउण्स करा दिया तथा मुस्तगीस ने प्रार्थीगण से रंजिश कर मनगढंत कहानी बनाकर एक झूंठी एफआईआर पैसे का लेनदेन बताकर दर्ज करा दी। प्रार्थीगण अनुसंधान अधिकारी की दौराने अनुसंधान हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है तथा प्रकरण के गवाहान को उनके द्वारा किसी भी प्रकार प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थीगण जमानत मुचलके पेश करने को तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी बंगाली सिंह ने दिनांक 20.11.21 को एक तहरीरी रिपोर्ट थाना बाडी में पेश कर निवेदन किया कि मुलजिमान ने उसके लड़के मगनसिंह को होमगार्ड में स्थाई कराने के बदले तीन लाख रूपये मांगे, जिस पर उसके द्वारा दिनांक 21.08.16 को तीन लाख रूपये मुलजिमान को दिये गये, परंतु वर्ष 2018

तक उसके लड़के को होमगार्ड में स्थाई नहीं कराया। दिनांक 15.12.18 को मुलजिमान ने उससे कहा कि आपके रूपये ऊपर फंस गये हैं, दो–तीन माह में आपके रूपये आ जावेंगे। आप जब तक अमानत बतौर चैक ले जाओ और मुलजिम उदयसिंह ने अपने हस्तलेख में अपने अकाउण्ट नं. 45640200000116 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बाडी का एक चैक जिसका नं. 000146 है 2,50,000/रूपये का भरकर उसको दिया व कहा कि दो माह में आपके रूपये वापिस नहीं किये तो आप इस चैक को बैंक में लगाकर अपने रूपये ले लेना। रूपये अदा नहीं करने पर उसने दिनांक 04.04.18 को चैक बैंक में लगा दिया जो पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउण्स हो गया। इसका पता मुलजिमान को चलने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया गया एवं उसको अग्रिम तारीख 16.06.18 व 15.07.18 के अपने हस्तलेख में अपने अकाउण्ट नं. 45640200000116 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बाडी के दो चैक जिनके नं. 000246 व 000247 हैं 1,00,000/रूपये के भरकर प्रदान किये, परंतु उसके रूपये उसे नहीं मिले। दिनांक 08.11.21 को उसके द्वारा रूपये मांगने पर उक्त मुलजिमान ने रूपये वापिस करने से स्पष्ट मना कर दिया .....आदि। जिस पर थाना बाडी पर मुकदमा संख्या 384/19 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा॰दं॰सं॰ में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान अभियुक्तगण उदयसिंह व शुभम परमार उर्फ बॉबी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना है।

6. केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश की अनुपालना में अभियुक्तगण को धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य पेश करने को कहा गया, परंतु आज दिनांक तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अनुसंधान करने में पुलिस की सहायता नहीं कर रहे हैं एवं अपराध में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। पुलिस द्वारा अब तक किये गये अनुसंधान से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध 420, 406, 120बी भा॰द॰सं॰ के अपराध का आरोप प्रमाणित माना है। अतः प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय इस स्तर पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित नहीं पाता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. उदयसिंह पुत्र निहालसिंह निवासी ग्राम आंगई हाल निवासी मौ. दमदमा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर, 2. शुभम परमार उर्फ बॉबी पुत्र उदयसिंह निवासी ग्राम आंगई हाल निवासी मौ. दमदमा बाडी थाना बाडी जिला धौलपुर की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं॰प्र॰संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर

8. यह आदेश आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नीरज कुमार)
अपर सैशन न्यायाधीश,
बाड़ी, जिला धौलपुर